TO:ETO1:7IC F.1

संख्या-662/XXIV(1)/2011-45/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 08 जुलाई जून,2011

विषयः- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या-143/02-आर. टी.ई.(नियमावली)/2011-12, दिनांक 29.04.2011, पत्र संख्या-144/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12, दिनांक 29.04.2011, पत्र संख्या-145/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12, दिनांक 29.04.2011, पत्र संख्या-146/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/2011-12 दिनांक 29.04.2011 एवं पत्र संख्या-147/02-आर.टी.ई.(नियमावली)/ 2011-12, दिनांक 29.04.2011 के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु निम्न दिशा-निर्देशानुसार तत्काल आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायः-

(क) विद्यालय में प्रवेश के दौरान कैपिटेशन शुल्क तथा बच्चे अथवा उसके माता-पिता /अभिभावकों की अनुवीक्षण प्रक्रिया को प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में-

राज्य में "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009" की धारा-13(1) के प्रावधानों के अनुसार बच्चे के प्रवेश के समय कोई भी विद्यालय अथवा व्यक्ति किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क एकत्रित नहीं करेगा तथा न ही किसी भी बच्चे के प्रवेश हेतु बच्चे अथवा उसके माता-पिता/अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया (स्क्रीनिंग) अपनायेगा। धारा-13(2) के अनुसार कैपिटेशन शुल्क लिये जाने की दशा में प्रभारित कैपिटेशन शुल्क के दस गुना तक दण्ड का प्राविधान है जबकि बच्चे को अनुवीक्षण प्रक्रिया से गुजारने पर प्रथम उल्लघंन पर रू0 25000/- तक की सीमा तक दण्ड का प्राविधान है जबकि इसके बाद प्रत्येक बार के उल्लंघन पर रू0 50000/- तक की सीमा तक दण्ड का प्राविधान है। अधिनियम की धारा-2(b) में कैपिटेशन शुल्क को निम्नवत परिभाषित किया गया है-

"कैपिटेशन शुल्क का तात्पर्य किसी भी प्रकार के ऐसे दान (Donation) या अंशदान या भुगतान से है जो कि विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अतिरिक्त हो"।

अधिनियम की धारा-2(o) में अनुवीक्षण/स्क्रीनिंग प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए उल्लिखित किया गया है कि "अनुवीक्षण प्रक्रिया का तात्पर्य यादृच्छिक

प्रक्रिया के अतिरिक्त बच्चे के प्रवेश हेतु किसी ऐसी अन्य चयन प्रक्रिया जिसमें किसी एक बच्चे को दूसरे से वरीयता देते हुए प्रवेश दिया जाता है"।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर विद्यालयों द्वारा अधिसूचित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क कदापि न लिया जाय तथा प्रवेश के समय बच्चों अथवा उनके माता–पिता/अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया न अपनायी जाय।

(ख) बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक अनुत्तीर्ण करने अथवा विद्यालय से निष्कासित किये जाने पर प्रतिबन्ध के संबंध में:–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,2009 की धारा–16 के प्राविधानानुसार किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश होने के बाद प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक न तो किसी कक्षा में रोका जा सकेगा तथा न ही विद्यालय से निष्कासित किया जा सकेगा। इस संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–16 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि 'No child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education".

अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–16 का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इन प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबन्धन के विरूद्ध उन पर लागू सेवा नियमावली के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(ग) बच्चों को शारीरिक दण्ड दिये जाने एवं मानसिक प्रताड़ना प्रतिबन्धित करने के संबंध में–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–17 (1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना न दी जाय। यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा किसी अध्यापक द्वारा किसी विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड देने सम्बन्धी आरोप सिद्ध पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध सरकारी सेवक आचरण नियमावली एवं उस पर लागू सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा–17 (2) में भी प्राविधानित है। अशासकीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों के प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा दोषी प्रधानाचार्य/अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही नही किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की भी कार्यवाही की जा सकेगी।

(घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन अथवा निजी शिक्षण गतिविधियाँ किये जाने को प्रतिबन्धित करने के संबंध में–

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा–28 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि 'No teacher shall engage himself or herself in private tution or private teaching activity". अर्थात कोई भी शिक्षक अपने आप को निजी ट्यूशन गतिविधियों अथवा निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नही करेगा।

अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–24 में वर्णित दिशा निर्देशों के क्रम में विद्यालय परिसर अथवा परिसर से बाहर निजी ट्यूशन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है। इसका उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध उस पर लागू सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी अन्य प्रकरणों में प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने पर प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

(ङ) <u>प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा आयोजित न किये जाने के संबंध में–</u>

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा–30 (1) के प्राविधानानुसार किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नही होगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चों हेतु किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा आयोजित न की जाय। प्रदेश के शैक्षिक प्राधिकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–30(2) के प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
5. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नरेन्द्रनगर (टिहरी)।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
8. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।